न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या —14 / 2021

उनवान

वादी

1. श्रीमती झीमोदेवी पत्नि मालाराम जाति जाट निवासी चाडार बांकलसर।

प्रतिवादी

1. श्री पूराराम पुत्र श्री हीराराम
2. श्री भेराराम पुत्र श्री हीराराम
3. श्री अमराराम पुत्र श्री उदाराम के कायम मुकाम
   3/1 श्री ठाकराराम पुत्र अमराराम
   3/2 दमाराम पुत्र श्री अमराराम
   3/3 श्रीमति अनु पत्नि अमराराम
4. मीरोदेवी पत्नि रतनाराम कुदरती वलीया माता श्रीमति चतरूदेवी पत्नि धनाराम
5. श्री दमाराम पुत्र श्री अमराराम जाति जाट निवासी चाडार बांकलसर
6. तहसीलदार रामसर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :—29.11.2024

राजस्व वाद संख्या 14 / 2021

निर्णय

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा चाडार बांकलसर तहसील रामसर के खसरा संख्या 291/30 रकबा 272 बीघा 15 बिस्वा में वादीनी की क्रयशुदा भूमि आयी हुई है जिसमें हिस्से खुले हुये है तथा मौखिक बंटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा उसी अनुसार प्रतिवादीगण काविज है। वादग्रस्त आराजी में बाई मीटीस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने हेतु यह वाद दिनांक 09.07.2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण बाद तामिल अनुपस्थित होने से उनका जवाब का अवसर बंद किया गया। तहसीलदार रामसर से विभाज़न प्रस्ताव चाहा गया। तहसीलदार रामसर के पत्रांक राजस्व/2024/2213 दिनांक 12.11.2024 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रापत।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा संलग्न विभाजन के प्रस्ताव के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा चाडार बांकलसर तहसील रामसर के खसरा संख्या 291/30 रकबा 272 बीघा 15 बिस्वा भूमि में सलग्न तहसीलदार रामसर विभाजन एवंनक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि को निम्नानुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजित किया जाता है।

क्र. स.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर	किस्म	बंरग
1	श्रीमती झीमोदेवी पत्नि मालाराम जाति जाट निवासी चाडार बांकलसर।	291/30	जमाबंदी अनुसार	बा.सो.	आसमानी
2	अमराराम पुत्र देदाराम, नाबलिग कंवराराम दतक पुत्र रतनाराम संरक्षक वली माता चतरूदेवी पत्नि धनाराम , दमाराम पुत्र अमराराम, पुराराम पुत्र हीराराम, भैराराम पुत्र हीरारामख जाति जाट हिस्सा जमांबदी अनुसार।	291/30	जमाबंदी अनुसार	बा.सो.	आसमानी

तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लटठा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित करें। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार विभाजन मय नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। खर्च पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगें। तदनुसार डिगरी पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर
रामसर